<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>8/01/2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय ने गुजरात भूमि विकास निगम, आनंद, गुजरात के तत्कालीन फील्ड सुपरवाइजर **धीरूभाई बाबाभाई शर्मा** की **4.92 करोड़ रुपये** की संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। कुर्क की गई संपत्तियों में व्यावसायिक दुकान, आवासीय मकान, कृषि भूमि, नाडियाड, गुजरात स्थित जलाश्रय रिसॉर्ट आदि शामिल हैं।

ईडी ने एसीबी पुलिस स्टेशन, आनंद द्वारा धीरूभाई बाबाभाई शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(बी) और 13(2) के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें उन पर 01.04.2006 से 31.03.2018 की अवधि के दौरान आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक 8.04 करोड़ रुपये (354.56%) की अनुपातहीन संपत्ति रखने का आरोप है।

धीरूभाई बाबाभाई शर्मा, उनके परिवार के सदस्यों और उनकी कंपनी मेसर्स जलाश्रय रिज़ॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने सामूहिक रूप से सुरक्षित/असुरक्षित ऋण लिए थे। जांच के दौरान यह पाया गया कि लिए गए ऋणों का भुगतान मुख्य रूप से विभिन्न बैंक खातों में नकद जमा के माध्यम से किया गया था। पारंपरिक बैंकिंग चैनलों का उपयोग करने के बजाय, बड़ी मात्रा में नकद उनके खातों में जमा किया गया, जिसे तुरंत ऋण भुगतान के रूप में कृष्णा फाइनेंस को हस्तांतरित कर दिया गया। यह पैटर्न मनी लॉन्ड्रिंग की एक क्लासिक तकनीक को दर्शाता है, जिसमें अवैध धन को पहले नकद जमा के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में लाया जाता है और फिर वित्तीय देनदारियों को चुकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसके स्रोत को छिपाया जा सके। इसके अलावा, कुछ भुगतान कई खातों के माध्यम से किए गए, जिससे वित्तीय लेन-देन और भी जटिल हो गया और धन के वास्तविक स्रोत को छिपाने के लिए धन की हेराफेरी का संदेह पैदा हुआ।

जलाश्रय रिज़ॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना धीरूभाई शर्मा के पुत्र और पत्नी द्वारा 2007 में 5.40 लाख रुपये में खरीदी गई 52 गुंठा भूमि पर 01.02.2012 को की गई थी। रिज़ॉर्ट को शुरू में 5.50 करोड़ रुपये का सुरक्षित ऋण प्राप्त हुआ और बाद में 2018 में 7.85 करोड़ रुपये का ऋण लेकर इसकी फंडिंग में वृद्धि की गई। धीरूभाई शर्मा और उनके परिवार ने 2015-2020 के दौरान रिसॉर्ट के विकास के लिए 1.19 करोड़ रुपये का असुरक्षित ऋण भी लिया था। रिसॉर्ट के विकास के लिए वित्तपोषण ऋण, बैंक खातों में नकद जमा और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त धन के संयोजन से किया गया था, जिसमें मेसर्स प्रेया सर्विसेज से प्राप्त धनराशि भी शामिल थी, जिसमें धीरूभाई शर्मा की बहू की 50% हिस्सेदारी है।

इसके अलावा, धीरूभाई शर्मा के नाम पर एलआईसी और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी हैं, जो उनके और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर हैं। उन्होंने प्रीमियम का भुगतान नकद में किया था और बाद में इन पॉलिसी की परिपक्वता राशि उनके निजी बचत खाते में स्थानांतरित कर दी गई थी।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।